

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक: प.10(क)() (न.पा.गठन) / स्वा.शा. / 22/5061-5110 दिनांक 17/11/2023
जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त राजस्थान ।

विषय :- नवगठित नगरीय निकायों में जनसंख्या के आधार पर विभागीय अधिसूचना
क्रमांक 1523 दिनांक 10/06/19 के अनुरूप कुल वार्ड एवं अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /सामान्य वर्ग हेतु वार्डों
की संख्या का निर्धारण बाबत ।

महोदय,

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं 9 की शक्तियों का
प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर आपके क्षेत्राधीन
नवगठित नगरीय निकायों की अधिसूचना में अंकित सीमा क्षेत्र के आधार पर कुल वार्ड एवं
वार्डों के वर्गवार वर्गीकरण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग व
सामान्य वर्ग के निर्धारण किया जाने हेतु नवगठित नगरीय निकाय की सीमा क्षेत्रफल एवं
जनसंख्या का वर्गीकरण निम्नांकित प्रपत्र में सूचना शीघ्र भिजवाने का श्रम करावें।

प्रपत्र

नाम नगर पालिका सीमा क्षेत्रफल वर्ग हैक्टर/वर्ग किमी

राजस्व ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित गाँवों के नाम व उनकी जनगणना 2011 के आधार
पर कुल एवं वर्गवार जनसंख्या विवरण :-

ग्राम पंचायत में आने वाले राजस्व गाँव का नाम	कुल जनसंख्या (पुरुष / महिला)	अनुसूचित जाति जनसंख्या (पुरुष / महिला)	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (पुरुष / महिला)	सामान्य (पुरुष / महिला)
--	---------------------------------	--	--	----------------------------

भवदीय

(हृदय कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो)डीएलबी/23/5111 - 5240 दिनांक : 17/11/2023

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
 02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
 03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
 04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
 05. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
 06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
 07. सचिव/ आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर। *विश्व शर्मा (निदेशक)*
 09. संभागीय आयुक्त समस्त /जिला कलक्टर समस्त (राजस्थान)।
 10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।/पी.आर.ओ. निदेशालय।
 11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना संकलित किया जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु रखा जावे एवं विभाग को ईकाजाई रिपोर्ट सॉफ्ट/हार्ड कॉपी में भिजवावे।
 12. अधिशासी अधिकारी नवगठित नगर पालिका
 13. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
 14. सरपंच /उपसरपंच/सचिव,संबंधित सदस्य नवगठित नगरीय निकाय
 15. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी